अनुसूची २१—[illegible] ([illegible] १२६)

संपत्ति-भारमार-प्रमाणपत्र

[illegible] नं० 893/15 .... १९ ।   आवेदक नं० [illegible]

श्री Rajaji Heritage College of Education Raj[illegible] ने मेरे प्रति आवेदन किया है [illegible] Hajipur Hajipur Sevaty [illegible] Kumar

[illegible] तथा [illegible] ... दिया जाय ।

(आवेदन के लिये नीचे तथ्य की सम्पत्ति विवरण है)

[illegible] 07/1/2002 to [illegible] ....१९. [illegible]

और [illegible] बाद [illegible] और [illegible] गया है — nil

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम: निष्पादक	पक्षों के नाम: दावेदार	रजिस्ट्री प्रति निर्देश: जिल्द सं०	पृष्ठ	संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८	९

Mauza Rajasan P.S. [illegible] Thana No 225 ([illegible])

Khata	Khesra	Area
07	184	100 Decimals (4000 Sq metre)

(क) दस्तावेज के अनुसार [illegible] दर्ज करें ।

(ख) १ । [illegible] [illegible] और [illegible] दर्ज करें । [illegible]

२ । [illegible] दर्ज करें ।

ATTESTED

S. K. [illegible]
NOTARY, PATNA, BIHAR

(२)

मैं यह भी ... हूँ कि उपर्युक्त सम्व्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले ... अन्य सम्व्यवहार और ... नहीं पाया है।

निम्न व्यक्ति के तलाश ... बयार किया:—

(हस्ताक्षर):—

(पदनाम):— लि०—

तलाशी का सत्यापन ... निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर):—

(पदनाम):— लि०—

कार्यालय ... जिला निबंधन-कार्यालय, हाजीपुर

तारीख

निबन्धन पदाधिकारी के हस्ताक्षर।

ATTESTED

टिप्पणी—इस प्रमाणपत्र में ... सम्व्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं जो आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक ... विवरण के भिन्न विवरण देकर किन्हीं अन्य सम्पत्तियों को ... दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्ता... सम्व्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(२) निबन्धन अधि... की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति ... और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो ... निरीक्षण करना चाहते हों अथवा किन्हीं विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की ... ही उन्हें तलाशी स्वयं ... होगा। विहित फीस का भुगतान करने पर ... और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेंगी।

(३) किन्तु चूँकि ... मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने ... सावधानी से की है। ... विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए, किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(४) और चूँकि ... मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये सम्व्यवहारों और अवधारों को ... प्रमाणपत्र में दिया गया है, इसलिए निबन्धन विभाग ... पाये गये सम्व्यवहार और अवधार की भूल के लिए ... किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त ... पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय जिला निबंधक, वैशाली

पत्रांक 895 दिनांक 23/6/15

आवेदक श्री Royal Heritage College of Education ...

जिला अवर निबंधक

23/6/15

बिहार ... प्रेस ... (सी०पी०पी०सी०)